प्रेस नोट ***17/09/2025***

हत्या के प्रयास से संबंधित मामलें में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.09.2025 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व पतारसी सुगारसी में मु0अ0सं0 317/25 धारा 3(5), 109, 351(3), 352, 131 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त अनुज यादव पुत्र श्रीकान्त यादव निवासी जमालपुर बुलंद थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायाल किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अनुज यादव पुत्र श्रीकान्त यादव निवासी जमालपुर बुलंद थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

अभियोग का विवरण–

1. मु0अ0सं0 317/25 धारा 3(5), 109, 351(3), 352, 131 बीएनएस थाना हलधरपुर जनपद मऊ ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 राजेश कुमार सिंह थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
2. हे0का0 दीपचन्द्र यादव थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
3. हे0का0 सुनील यादव थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01अदद मोबाइल,01अदद चाँदी की अगूठी बरामद –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.09.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर हथनी मोड़ तिराहे के पास से मु0अ0सं0 397/25 धारा 309(4) बीएनएस में वांछित अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र राम परीखा राम निवासी जयसिंहपुर थाना सरायलखन्सी, रजनीस कुमार पुत्र सुनील राम निवासी जयसिंहपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कब्जे से 01अदद मोबाइल,01अदद चाँदी की अगूठी बरामद कर गिरफ्तार किया गया उक्त प्रकरण में धारा 317(2), 317(4) बीएनएस की बढोत्तरी कर चालान न्यायलय किया गया।

अभियुक्त-

1. सूरज कुमार पुत्र राम परीखा राम निवासी जयसिंहपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. रजनीस कुमार पुत्र सुनील राम निवासी जयसिंहपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

बरामदगी –

01अदद मोबाइल,01अदद चाँदी की अगूठी।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नागेश चौधरी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. उ0नि0 प्रिन्स कुमार थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. मु0आ0 खुर्शीद थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
4. मु0आ0 बच्चा लाल यादव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
5. का0 रोहित सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व ₹17,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीस ए एस जे/ पाक्सो प्रथम कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 17-09-2025 को मु0अ0सं0 93/2018 धारा 354क भादवी व 9/10 पाक्सो एक्ट थाना दोहरीघाट मे दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील पुत्र विश्वनाथ दुषाध निवासी कुरंगा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹17,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री विमल कुमार श्रीवास्तव (एपीओ), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्यामधर यादव का सराहनीय योगदान रहा।